

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा

संख्या-10

द्वितीय (बवट) सत्र

मंगलवार, दिनांक-17 मार्च, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाहन से 04.07 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. विविध चर्चाएः-

- i. माननीय सदस्य, श्री लोचिन हेम्बम द्वारा सत्तापक की लंबी में जल से पानी नहीं आने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया,
- ii. माननीय सदस्य, श्री बंधु तिक्की द्वारा सी.ए.ए. तथा एन.पी.आर. को तुलना कोरोना वायरस से करते हुए आसन से अनुरोध किया गया कि इसपर सदन में विशेष चर्चा कराकर इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाय इसपर विषय के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में शोरगुल किया जाने लगा,
- iii. माननीय सदस्य, श्री मरयू राय ने सदन में लगाये गये अशोक संघ की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि विना सरकार द्वारा अंगीकार किये गयी चिह्नों का उपयोग किया जाना संविधान के प्रतिकूल है, अतएव सरकार चलते सत्र में इसे अंगीकार करने की व्यवस्था करे,
- iv. माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने अन्य विधान सभाओं की भौति झारखण्ड विधान सभा का भी अपना लोगों बनाये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिनांक-23 जनवरी, 2020 को लोहरहना में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में स्थानीय प्रशासन की अनुमति से निकाले गये शांतिपूर्ण बूलूस पर प्रवर्तन कर हिसा फैलाये जाने सम्बन्धी कार्यस्थगन प्रस्ताव को सूचना को आसन द्वारा उत्तराखण्ड इसके नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया। जिसके पड़ा गया तत्परतात् इसके नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया। जिसके विरोधस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीशतः माननीय सदस्य अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर संकर नारेबाजी करते हुए सदन को बैठ में आ गये इस झंग में पक्ष-विषय के सदस्यों में नोकझोक भी हुई।

3. प्रश्नकालः-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

- (i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-16
- (क) उत्तरित कुल-04, अ० सू०-94 श्री किरण कुमार यास,

स० वि० स०,

कृष्णपूर्ण

अ० स०-९५ श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स० वि० स०,

(आसन को अनुभवित से बासीव सदस्य, श्री रामेश कच्चव द्वारा उक्त प्रश्न पूछा गया)

अ० स०-९६ श्री भानु प्रताप शाही, स० वि० स०,

अ० स०-९७ श्री कमलेश कुमार सिंह, स० वि० स०

(ख) स्थगित मात्र-०१, अ० स०-९३ श्री सरदू राय, स० वि० स०।

(ग) अनागत मात्र-११, अ० स०-९८ से अ० स०-१०८ तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-६७

(क) उत्तरित कुल-०२, तारो-३३० श्री उमाशंकर अकेला, स० वि० स०,

तारो-३३१ श्री नवीन जयसवाल, स० वि० स०।

(ख) स्थगित मात्र-०१, तारो-३३२ श्री केदार हजरा, स० वि० स०।

(ग) अनागत कुल-६४, तारो-३३३ से तारो-३९६ तक।

४. शान्यकाल:-

आसन से पृकारे जाने पर निर्मांकित मानवीय सदस्यों ने अपने हारा प्रस्तुत घटनाकरण प्रस्ताव की मूलमात्रों को पढ़ा-

श्री किशन कुमार दास,

श्री उमाशंकर अकेला,

मुश्त्री आमा प्रसाद,

श्री जय प्रकाश भाई पटेल,

श्री निरल पुरली,

श्री रमेश सोरेच,

श्री केदार हजरा,

श्री बिनोद कुमार सिंह,

श्री बिरची नारायण,

श्री लोधिम हेमद्वाम,

श्री नमन विकसल कोनगाही,

श्री कोचे मुण्डा,

श्री अनन्त कुमार ओड़ा,

श्री नारायण दास,

श्रीमती अपर्णासिन गुप्ता,

श्री इरफान अंसारी,

श्री राज सिन्हा,

श्री भूषण बाड़ा,

श्री भूषण तिकरी,

श्री समीर कुमार महांती,

श्री कुशबाहा शशि भूषण मेहता,

श्री लम्बोदर महांती,

श्री समरीलाल,

श्री अमित कुमार मंडल, श्री बंधु तिकी। इसके उपरांत मर्वश्री प्रदीप यादव, रामचन्द्र चन्द्रवेशी, भदुरा प्रसाद महतो, आलोक कुमार चौरसिका एवं श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा दिये गये शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ था।

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना:-

- i- माननीय सदस्या, डॉ. नीरज यादव एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी चक्रतथ्य हुआ,
- ii- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार और्जा से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी चक्रतथ्य हुआ,
- iii- माननीय सदस्या, श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी चक्रतथ्य हुआ,
- iv- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसे स्थगित रखा गया।

6. आसन से घोषणा:-

आसन से विन्म घोषणा की गयी-

“नेता विधायक दल, भारतीय राष्ट्रीय कौंग्रेस के अनुरोध के आलोक में पंचम इतारखण्ड विधान सभा में श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स० को भारतीय राष्ट्रीय कौंग्रेस (सत्तारूढ़ दल) का उप मुख्य सचेतक एवं श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स०वि०स० को भारतीय राष्ट्रीय कौंग्रेस (सत्तारूढ़ दल) को सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान करता है।”

7. वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंडी, श्रीमती जोवा भैशी द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-ज्ञायक में सम्मिलित अनुदानों की मौगे खण्ड-(05) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मौगे सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री दिनेंद्र कुमार सिंह द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8. वित्तीय कार्य(क्रमांक-7 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत गैरि पर आसन के विदेश से माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी तदुपरांत विनाकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री लोधिन हेम्बल,

श्री केदार हजरा,

सुश्री अम्बा प्रसाद,

श्री लम्होदरं महतो,

श्री बंधु तिकी।

(इस अवसर पर सरकार के उत्तर पर्वत सभा का समय विस्तारित किया गया।)

इसके बाद सरकार की ओर से मानवीय प्रभारी भैंडी, श्रीमती जोना मौज़ी द्वारा उत्तर दिया गया। वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों को मौगो खण्ड-(05) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मौगे सभा द्वारा धनियत से स्वीकृत हुई और मानवीय सदस्य, श्री विनोद कुमार मिश्र ने अपना कट्टीती का प्रस्ताव आपस लिया।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-18मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वोत्तर के सिये स्थगित की गयी।

रौचो,

दिनांक- 17 मार्च, 2020ई।

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।